

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29042023-245543
SG-DL-E-29042023-245543असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]	दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2023/वैशाख 8, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 40
No. 147]	DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2023/VAISAKHA 8, 1945	[N. C. T. D. No. 40

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 28 अप्रैल, 2023

सं0फा0 1/आईटीआई(5)/आरआर/2021/1042.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 जी.एस.आर. 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 8.8.1969 की अधिसूचना फा0 2(13)/68—सेवाएं—II /द्वारा अधिसूचित सहायक स्टोरकीपर के पद के लिए भर्ती नियमों तथा दिनांक 2 जनवरी, 2014 की अधिसूचना फा0 सं0 36(26)/प्रशि0प्रशा0/2008 द्वारा अधिसूचित उत्तरवर्ती संशोधन के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण में की गई या किए जाने के लिए हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत प्रशिक्षण विंग में सहायक स्टोरकीपर के पद की भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :—(i) इन नियमों को सहायक स्टोरकीपर भर्ती नियमावली, 2023 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कहा जायेगा।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यता** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :—ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :— जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद या गैर चयन पद है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक स्टोरकीपर	*19 (2023) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह —ग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—2 (19900 —63200 /—रुपये	लागू नहीं	18 वर्ष एवं 25 वर्ष के बीच* *यदि पद अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरा जाता है तो आयु 18 वर्ष एवं 27 वर्ष के बीच होगी। टीप — 1 केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। टीप —2 आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि डीएसएसएसबी /सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी।

7	8	9	10	11
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यता ।	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है
अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल / बोर्ड से 10 + 2 प्रणाली के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित सहित दसवीं कक्षा उत्तीर्ण । (ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्ष की अवधि का इंजीनियरिंग ट्रेड में राष्ट्रीय /राज्य ट्रेड प्रमाण –पत्र (एनटीसी/एसटीसी)/राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण-पत्र (एनएसी) । (iii) स्टोर लैजर के ज्ञान तथा इंजीनियरिंग यंत्र, उपकरण एवं मशीनरी संभालने सहित इंजीनियरिंग उपक्रम / इंजीनियरिंग संस्थान / इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय / उद्योग में स्टोरकीपिंग का दो वर्ष का अनुभव । टीप -1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं । टीप-2 यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टीप:- पदधारियों द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी रुग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियों केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी । क: मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी । ख: कॉलम (7) के अन्तर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले । (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की	लागू नहीं ।

अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।			अन्तिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	
---	--	--	--	--

12	13
यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थाईकरण पर विचारार्थ): 1. प्रधान सचिव / सचिव (ऊर्जा), रा0रा0क्षे0दि0स0 — अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष — सदस्य 3. उप सचिव (वित्त), रा0रा0क्षे0दि0स0 — सदस्य टीप : समिति के अधिसूचित अध्यक्ष के समिति के अन्य सदस्य से कनिष्ठ होने की स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य पदोन्नति पर विचार करने के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
आर. एलिस वाज,
सचिव, प्र0 एवं तक0शि0

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, 28th April, 2023

F.No. 1/ITI (5)/RR/2021/1042.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification Number G.S.R 840 dated the 13th July, 1959 and in supersession of the recruitment rules for the post of Assistant Storekeeper notified vide notification F.2(13)/68-Services-II dated 08.08.1969 and subsequent amendment notified vide notification F.No.36(26)/Trg. Admn./2008 dated 2nd January 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Assistant Storekeeper in the Training Wing under the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

- Short title and commencement:-** (i) These rules may be called the Assistant Storekeeper Recruitment Rules, 2023 Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix:-** The number of posts, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.
- 3. Method of Recruitment, Age limit and other qualification:-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualifications:-** No person,
 (a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living, or
 (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person; shall be eligible for appointment to any of the said posts:
- Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.
- 5. Power to relax:-** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of person.
- 6. Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6
Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non selection post	Age limits for Direct Recruits
Assistant Storekeeper	19* (2023) Subject to variation dependent on Work load*	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group C	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200/-)	Not applicable	Between 18 years and 25 years* * In case of post being filled up by all-India Open Competition, it would be between 18 years and 27 years Note-1: The upper age-limit is relaxable for Departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note-2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/ Competent Authority.

7	8	9	10
Educational and other qualification for direct recruits	Whether Age & Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment/ promotion/ deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
Essential (i) 10 th pass with Science and Maths under 10+2 system from recognized school/Board; (ii) National/State Trade Certificate (NTC/STC)/ National Apprenticeship Certificate (NAC) in Engineering Trade of two years duration from a recognized institution. (iii) Two years experience in store keeping in Engineering Undertaking/ Engineering institution/ Engineering University/ Industry with knowledge of Maintenance of Store ledger and to handle the engineering tools, equipments and machineries. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years. Note: Successful completion of mandatory Induction Training of minimum 2 weeks duration or as prescribed by cadre authority shall be a pre-requisite for completion of probation for Direct Recruits.	By Direct recruitment Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstance for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government / State Government / Union Territories: A. holding analogous post on regular basis in the Parent Cadre / Department; And B. possessing educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under Column (7). (The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)

11	12	13
In case of recruitment By promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation /absorption to be made	If DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Principal Secretary/ Secretary (Power) GNCT Delhi – Chairman 2. Head of the Department concerned– Member 3. Dy. Secretary (Finance) GNCT of Delhi– Member . Note: Senior most member of the	Not Applicable

	Departmental Promotion Committee for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Committee.	
--	---	--

By Order and in the Name of Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

R. ALICE VAZ, Secy. (TTE)